रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939
No. 684] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

का.आ. 776(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

पालकोट वन्यजीव अभयारण्य 22°45' से 23° उत्तरी अक्षांश और 84° 30' से 84° 45' पूर्वी देशांन्तर के बीच स्थित है । यह अभयारण्य संकटापन्न और महत्वपूर्ण जंगली पशुओं जैसे भालू, तेंदुआ, अजगर आदि के संरक्षण के लिए वर्ष 1990 में सृजित किया गया । पालकोट वन्यजीव अभयारण्य बिहार सरकार की अधिसूचना सं. 1168 दिनांक 22-03-1990 द्वारा अधिसूचित किया गया था, यह 183.18 वर्ग किलोमीटर में फैला यह संभागीय वन अधिकारी वन्यजीव संभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है जिसका मुख्यालय रांची में है।

और, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य में प्रचुर जैव विविधता पायी जाती है। यह छोटानागपुर पठार (6 डी) जैव-भौगोलिक अंचल के दक्षिणी पठार क्षेत्र में स्थित है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य में भालू प्रजाति महत्वपूर्ण है। इस संरक्षित क्षेत्र में कुछ मुख्य लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे तेंदुआ, पिसूरी, अजगर, साल आदि भी पाए जाते हैं। अभयारण्य क्षेत्र में कभी-कभी प्रवासी हाथियों को भी देखा जाता है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कई मौसमी और छोटी बारहमासी नदियों का आवाह क्षेत्र है। इस संरक्षित क्षेत्र में बारिश का यानी रुक जाता है जिससे भूजल जलभृतों को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। इस संरक्षित क्षेत्र के वनों के कारण न्यूनतम मृदा-अपरदन होने के यहां की नदियों और धाराओं में गाद जमा नहीं होती है इस संरक्षित क्षेत्र में चैम्पियन एवं सेठ के वर्गीकरण के अनुसार, विविध प्रकार के वन पाए जाते है जैसे कि उत्तरी भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र एवं शुष्क प्रायद्वीप साल वन, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, एग्ले वन जो कि स्तनधारियों की 47 प्रजातियां, पक्षियों की 124 प्रजातियां और वनस्पति की 700 प्रजातियां की बड़ी संख्या के लिए उत्कृष्ट आवास हैं। इन प्रजातियों में सभी लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे कि भालू, तेंदुआ, अजगर, साल, प्रवासी एशियाई हाथी आदि शामिल हैं। जो सभी संकटापन्न प्रजातियां है। यह संरक्षित क्षेत्र स्थानीय जनता के आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करता है। स्थानीय जनता 60% से अधिक लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। इसका बृहत सौंदर्यात्मक महत्व है और वन्यजीव अनुसंधान और शिक्षा के लिए व्यापक दायरा भी इसमें संपन्न पारिस्थितिकी-पर्यटन में मदद करने की काफी क्षमताएं हैं।

और, यह अभयारण्य कई जलधाराओं और नदियों के लिए वाटरशेड के रूप में कार्य करता हैं। यहां अधिकांश नदियां बरसाती और मौसमी हैं, और इसलिए ये गर्मियों में सूख जाती हैं। हालांकि, कुछ नदियों में वर्षभर थोड़ा सा पानी रहता है और ये जंगली पशुओं के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

और, इन संरक्षित क्षेत्रों को सबसे बड़ा खतरा बढ़ती आबादी, कम शैक्षिक स्तर और वाणिज्यिक गतिविधियों से है जो वन्यजीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से हानिकारक हैं। अनियमित क्रियाकलापों जैसे कि खनन, खदान और उद्योगों से न केवल पारिस्थितिकी पर प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वरन इनसे नजदीकी वनों का भी क्षरण होता है, और इस प्रकार इनसे लोंगों के असावधानीवश प्रवेश जैसे सहगामी कारकों से वन्यजीव पर्यावासों को भी हानि पहुंचाती है।

और, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्य के गुमला और

सीमदेगा जिलों में स्थित पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पालकोट वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार** (1) पारिस्थितिकी संवेदी का विस्तार पालकोट वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 350 मीटर से 5 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 1287.16 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पालकोट वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशांतर तथा सीमा विवरण के साथ **उपाबंध II क-ख** के रूप में संलग्न है।

(4) पालकोट वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** की सारणी **क एवं ख** में दिए गए हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(क) पर्यावरण;
(ख) वन और वन्यजीव;
(ग) कृषि और बागवानी;
(घ) राजस्व;
(ङ) शहरी विकास;
(च) पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन;
(छ) ग्रामीण विकास;
(ज) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(झ) नगरपालिका और शहरी विकास;
(ञ) पंचायती राज, और
(ट) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमे स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुख-सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) प्रोत्साहन दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरूद्धार की योजना शामिल की जाएगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– झारखंड राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**-- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69),

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

8.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ख) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के

		अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित

	संचलन ।	होगा ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट/जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप		
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर राजस्व संभाग	अध्यक्ष;
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठन का राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	झारखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामित एक जैव विविधता विशेषज्ञ	सदस्य;
6.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण के विशेषज्ञ	सदस्य;
7.	पालकोट वन्यजीव अभयारण्य के प्रभारी संभागीय वन अधिकारी	सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ''उद्योगों के वर्गीकरण, 2016'' के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/69/2015-ईएसजेड. आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: गुमला जिले के गुमला खंड के ग्राम राजस्व ग्रामों बेलगांव, काराउनदी, फाइसा, तार्री, धुमारदीह, माहुगांव, बंकिर, सुरसुरीया, अमबाअ, राकमसेरा, बेला की उत्तरी सीमाएं गुमला नगर का समीपवर्ती एन एच 23।

पूर्व: पूर्वी सीमाओं के साथ गुमला जिलें का बसिया ग्राम। राजस्व ग्रामों जामदंगा, तुकइ, सुरूजपुर, सोंमेर, पांथा, लालपुर, सोलांगबिरा, केलगा, लुउंगा, पतुरा, किंदेरकेला, अगहारमा की उत्तरी पूर्वी सीमाएं।

दक्षिण: सिमदेगा जिले के कोलेबेरा खंण्ड के गांव राजस्व ग्रामों भांवारपहरी, सारंगापानी, केदमतंर, फुलवारतंगर, बिरू, दांरगुरदा, कोंबेरा, केवांददीह, खांगजालोया की दक्षिणी सीमा।

पश्चिम: शंख नदी के साथ लगी सीमा और छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर-राज्य सीमा राजस्व ग्रामों कोंदरा, कासीरा, मोकरा, रेंगोला, तुल्मुंगा, अरांदा, राइदीह, लुंगा की पश्चिमी सीमा।

उपाबंध II क

मुख्य स्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पालकोट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

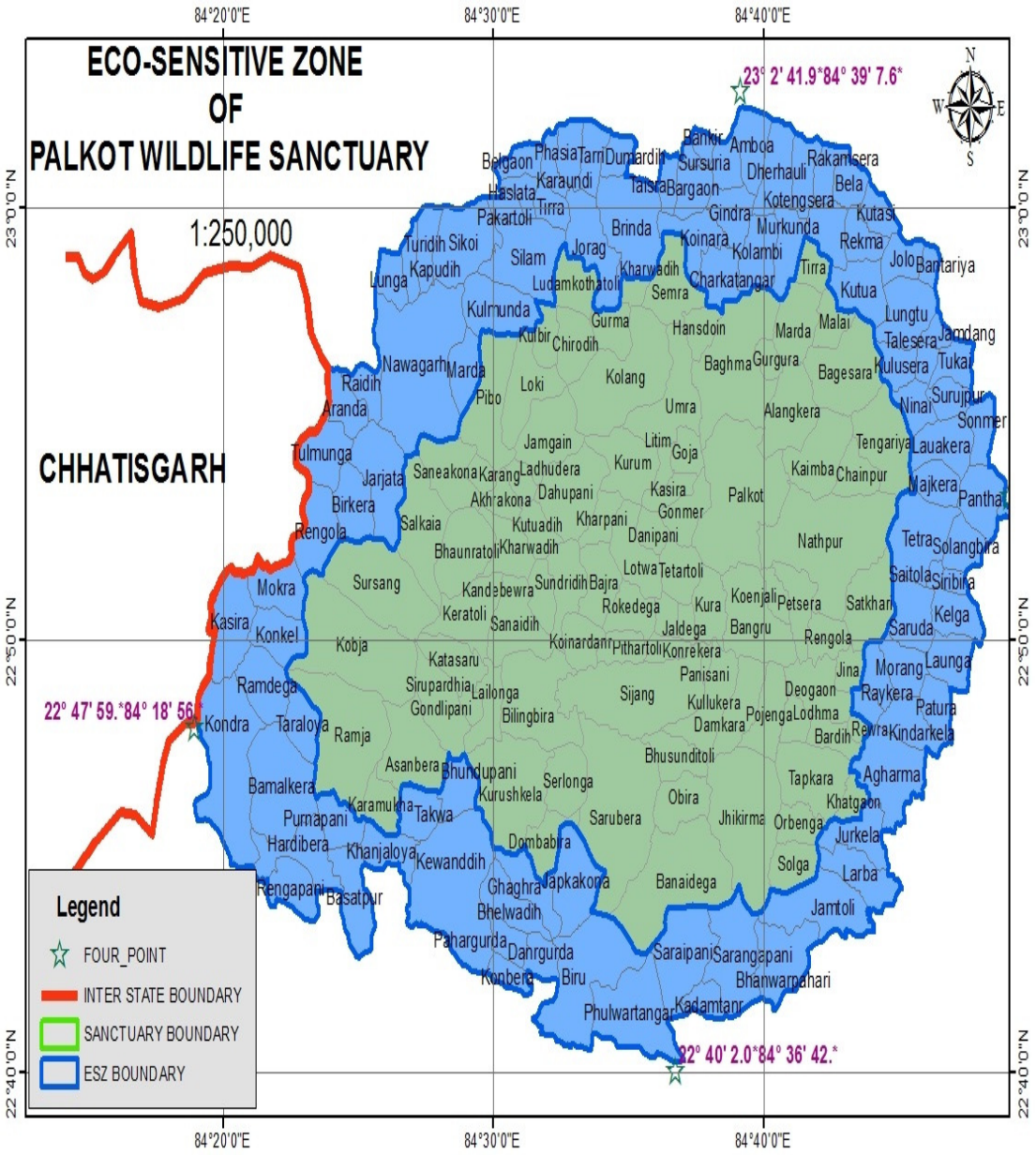

उपाबंध- IIख

टी ओ आई में प्रमुख स्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पालकोट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

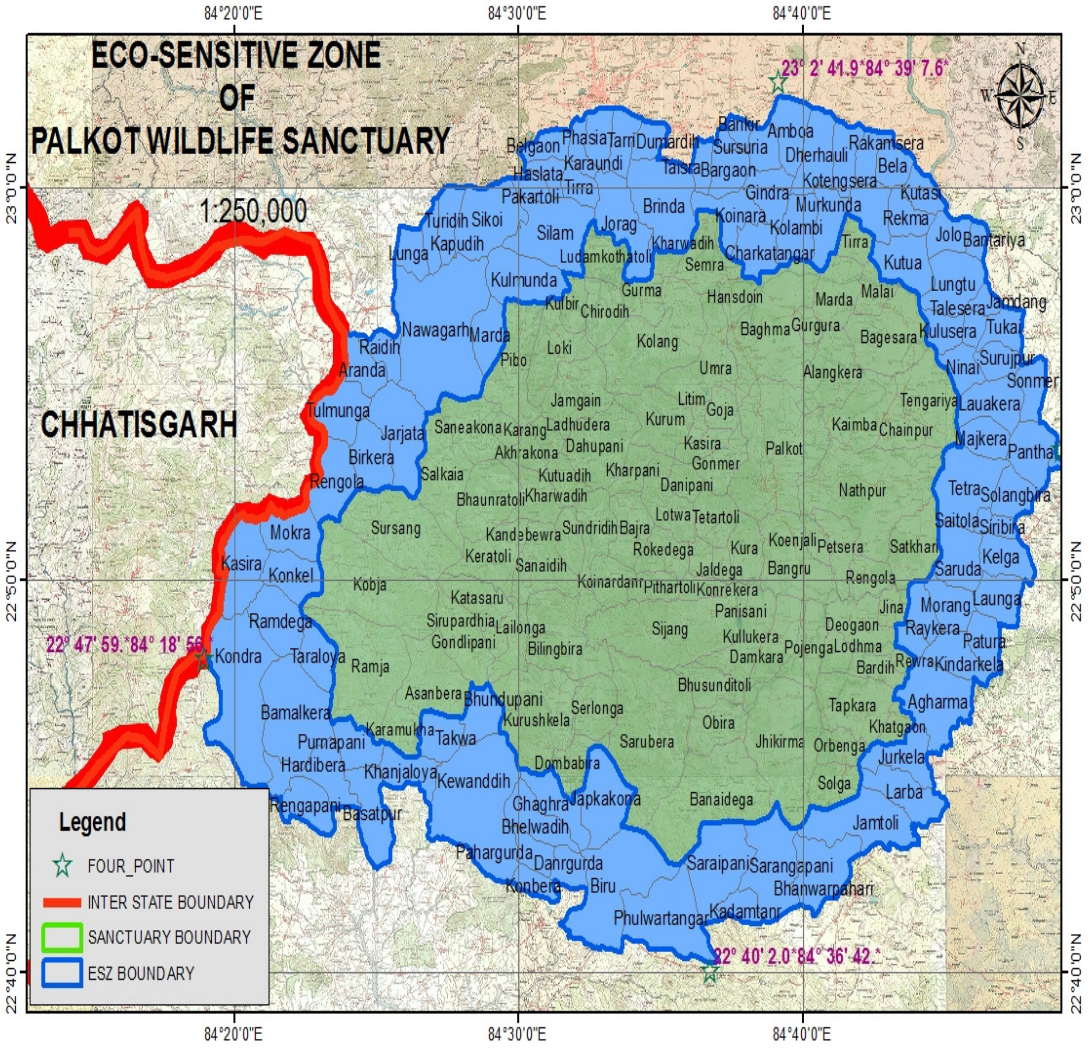

उपाबंध-III

सारणी क: पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड के मुख्य स्थानों के अक्षांश–देशांतर

बिंदु सं	अक्षांश (उ)	देशांतर(पू)
1.	22° 48' 05"	84° 23' 34"
2.	22° 53' 10"	84° 26' 24"
3.	22° 57' 10"	84° 31' 08"
4.	22° 57' 08"	84° 39' 01"
5.	22° 57' 29"	84° 43' 40"

6.	22° 53' 38"	84° 45' 45"
7.	22° 47' 51"	84° 43' 50"
8.	22° 42' 47"	84° 39' 39"
9.	22° 45' 11"	84° 31' 03"
10.	22° 46' 30"	84° 26' 33"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य स्थानों के अक्षांश–देशांतर

बिंदु सं	अक्षांश (उ)	देशांतर(पू)
1.	22° 55' 23"	84° 23' 50"
2.	23° 0' 15"	84° 30' 16"
3.	23° 02' 41"	84° 39' 07"
4.	22° 59' 14"	84° 45' 10"
5.	22° 53' 19"	84° 49' 04"
6.	22° 47' 17"	84° 45' 55"
7.	22° 40' 02"	84° 36' 42"
8.	22° 41' 57"	84° 30' 29"
9.	22° 44' 13"	84° 23' 24"
10.	22° 47' 59"	84° 18' 56"

उपाबंध-IV

पालकोट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्रशासन खंड	थाना सं	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5	6
1	कपुदीह्	राइदीह्	27	22º 58' 43.362" उ	84º 26' 56.005" पू
2	नवागर	राइदीह्	32	22º 56' 22.369" उ	84º 27' 14.329" पू
3	मारदा	राइदीह्	33	22º 56' 14.897" उ	84º 28' 55.706" पू
4	कुल्मुंदा	राइदीह्	34	22º 57' 41.771" उ	84º 30' 7.844" पू
5	सिकोइ्	राइदीह्	35	22º 59' 12.201" उ	84º 28' 53.634" पू
6	पकरटोली	राइदीह्	36	23º 0' 0.802" उ	84º 30' 29.871" पू
7	सिलम	राइदीह्	37	22º 58' 51.092" उ	84º 31' 12.304" पू
8	जरजट्टा	राइदीह्	45	22º 53' 45.784" उ	84º 25' 50.670" पू
9	राइदीह्	राइदीह्	46	22º 55' 48.714" उ	84º 25' 17.527" पू

10	अरंदा	राइदीह	47	22° 55' 26.090" उ	84° 24' 30.953" पू
11	तुल्मुंगा	राइदीह	48	22° 54' 19.652" उ	84° 23' 44.677" पू
12	बिकेरा	राइदीह	49	22° 53' 7.661" उ	84° 24' 49.741" पू
13	रेंगोला	राइदीह	50	22° 52' 31.686" उ	84° 23' 27.258" पू
14	मोकरा	राइदीह	53	22° 51' 12.102" उ	84° 22' 2.647" पू
15	कासिरा	राइदीह	54	22° 50' 21.639" उ	84° 20' 16.157" पू
16	कोंकेल	राइदीह	55	22° 50' 6.844" उ	84° 22' 3.001" पू
17	रामदेगा	राइदीह	56	22° 48' 57.246" उ	84° 21' 33.071" पू
18	तरालोया	राइदीह	57	22° 48' 3.629" उ	84° 22' 56.406" पू
19	बमल्केरा	राइदीह	59	22° 46' 37.886" उ	84° 22' 6.000" पू
20	कोंदरा	राइदीह	60	22° 47' 6.593" उ	84° 20' 12.899" पू
21	तुरीदीह	राइदीह	26	22° 59' 9.201" उ	84° 27' 31.312" पू
22	लुंगा	राइदीह	28	22° 58' 21.235" उ	84° 26' 13.630" पू
23	जापककोना	सिमदेगा	25	22° 44' 25.803" उ	84° 32' 58.278" पू
24	दांरगुरदा	सिमदेगा	57	22° 42' 39.489" उ	84° 31' 45.577" पू
25	कोनदेरा	सिमदेगा	55	22° 42' 16.530" उ	84° 30' 32.800" पू
26	फुलवाराटंगेर	सिमदेगा	65	22° 41' 22.763" उ	84° 35' 13.012" पू
27	बीरू	सिमदेगा	58	22° 42' 11.838" उ	84° 33' 23.982" पू
28	पुरना पानी	पकेइरदेंर	13	22° 45' 46.654" उ	84° 24' 17.487" पू
29	खांजलोया	पकैरदानर	14	22° 45' 8.063" उ	84° 26' 6.332" पू
30	केवांद्दीह	पकैरदानर	28	22° 44' 17.678" उ	84° 28' 34.333" पू
31	घगरा	पकैरदानर	26	22° 44' 18.001" उ	84° 31' 22.274" पू
32	भेलवोदीह	पकैरदानर	27	22° 43' 54.735" उ	84° 30' 35.458" पू
33	हरदीबेरा	पकैरदानर	10	22° 45' 1.588" उ	84° 22' 48.558" पू
34	बासतपुर	पकैरदानर	12	22° 44' 3.294" उ	84° 24' 49.725" पू
35	रेंगापानी	पकैरदानर	9	22° 44' 16.310" उ	84° 22' 35.630" पू
36	भुंदुपानी	पकैरदानर	58	22° 46' 32.932" उ	84° 28' 40.221" पू
37	ताकवा	पकैरदानर		22° 46' 1.023" उ	84° 27' 12.761" पू
38	पाहरगुरदा	पकैरदानर	56	22° 43' 3.302" उ	84° 30' 30.795" पू
39	सरीअपानी	कोलेबेरा	119	22° 42' 42.431" उ	84° 36' 59.109" पू
40	सांरंगापानी	कोलेबेरा	120	22° 42' 42.910" उ	84° 38' 53.020" पू
41	भानवारपाहर	कोलेबेरा	121	22° 42' 38.484" उ	84° 40' 40.454" पू
42	जमतोली	कोलेबेरा	122	22° 43' 49.736" उ	84° 42' 1.872" पू

43	लरबा	कोलेबेरा	123	22° 44' 33.289" उ	84° 43' 34.589" पू
44	जुरकेला	कोलेबेरा	131	22° 45' 29.504" उ	84° 43' 29.530" पू
45	अगरमा	कोलेबेरा	132	22° 46' 54.477" उ	84° 44' 38.113" पू
46	कदम्दतर	कोलेबेरा	118	22° 41' 40.675" उ	84° 37' 50.670" पू
47	सुरूजपुर	बसिया	118	22° 55' 35.300" उ	84° 46' 49.428" पू
48	लालपुर	बसिया	122	22° 52' 59.938" उ	84° 48' 50.034" पू
49	पांथा	बसिया	123	22° 53' 16.204" उ	84° 48' 1.668" पू
50	सोलांगबीर	बसिया	124	22° 52' 10.530" उ	84° 47' 20.619" पू
51	सीतोली	बसिया	125	22° 51' 31.127" उ	84° 46' 18.079" पू
52	सीरीबिरा	बसिया	126	22° 51' 21.210" उ	84° 47' 1.245" पू
53	रायकेरा	बसिया	138	22° 49' 10.817" उ	84° 44' 9.899" पू
54	मोरांग	बसिया	139	22° 49' 22.815" उ	84° 45' 9.327" पू
55	सरूदा	बसिया	142	22° 50' 35.656" उ	84° 45' 26.795" पू
56	तेतरा	बसिया	143	22° 52' 24.897" उ	84° 45' 42.001" पू
57	माजकेरा	बसिया	144	22° 53' 37.596" उ	84° 46' 23.154" पू
58	लायुकेरा	बसिया	145	22° 54' 31.033" उ	84° 46' 37.523" पू
59	नीनाइ	बसिया	146	22° 55' 25.357" उ	84° 45' 34.014" पू
60	कुलुसकेरा	बसिया	147	22° 56' 22.066" उ	84° 44' 54.483" पू
61	लुंगटु	बसिया	148	22° 57' 35.180" उ	84° 45' 15.893" पू
62	झोला	बसिया	149	22° 58' 49.140" उ	84° 45' 3.207" पू
63	सोंमेर	बसिया	119	22° 54' 53.120" उ	84° 48' 1.737" पू
64	जाम्देंग	बसिया	114	22° 57' 5.922" उ	84° 46' 22.706" पू
65	तेलेसेरा	बसिया	115	22° 56' 25.875" उ	84° 45' 57.640" पू
66	तुकइ	बसिया	116	22° 56' 24.002" उ	84° 47' 2.142" पू
67	मातरदेगा	बसिया	137	22° 48' 28.828" उ	84° 43' 45.804" पू
68	पतुरा	बसिया	135	22° 48' 27.573" उ	84° 46' 22.255" पू
69	केल्गा	बसिया	105	22° 50' 35.000" उ	84° 47' 4.843" पू
70	बंतरीया	बसिया	150	22° 58' 39.645" उ	84° 46' 5.736" पू
71	किंदेरकेल	बसिया	20	22° 48' 2.902" उ	84° 45' 22.486" पू
72	रेवरा	बसिया	82	22° 47' 57.017" उ	84° 43' 27.752" पू
73	बेलगांव	गुमला	53	23° 1' 3.609" उ	84° 31' 1.420" पू
74	ससलाता	गुमला	54	23° 0' 22.436" उ	84° 31' 4.312" पू
75	जोरगा	गुमला	56	22° 59' 4.961" उ	84° 33' 39.865" पू

76	कराउनदी	गुमला	57	23° 1' 0.424" **उ**	84° 32' 9.727" **पू**
77	तेर्री	गुमला	61	23° 1' 12.651" **उ**	84° 33' 37.910" **पू**
78	बरींदा	गुमला	62	22° 59' 37.980" **उ**	84° 35' 4.411" **पू**
79	कोइनरा	गुमला	67	22° 59' 20.220" **उ**	84° 37' 23.827" **पू**
80	धुमेरदीह	गुमला	89	23° 1' 12.164" **उ**	84° 34' 34.150" **पू**
81	महुगांव	गुमला	91	23° 1' 12.013" **उ**	84° 37' 19.442" **पू**
82	सुरसुरीया	गुमला	93	23° 1' 0.310" **उ**	84° 38' 36.140" **पू**
83	गींदरा	गुमला	94	22° 59' 52.794" **उ**	84° 38' 48.672" **पू**
84	बरगांव	गुमला	95	23° 0' 26.029" **उ**	84° 37' 19.749" **पू**
85	तइसेरा	गुमला	96	23° 0' 33.987" **उ**	84° 36' 26.590" **पू**
86	कोलाम्बी	गुमला	99	22° 58' 56.022" **उ**	84° 39' 46.617" **पू**
87	मुरकुद	गुमला	110	22° 59' 4.099" **उ**	84° 40' 50.289" **पू**
88	कोतेंगसेरा	गुमला	111	22° 59' 27.976" **उ**	84° 42' 21.981" **पू**
89	रेकमा	गुमला	112	22° 59' 17.485" **उ**	84° 43' 35.932" **पू**
90	कुतुअ	गुमला	113	22° 58' 5.872" **उ**	84° 43' 33.491" **पू**
91	कुतसी	गुमला		22° 59' 53.191" **उ**	84° 44' 11.671" **पू**
92	बनकिर	गुमला	92	23° 1' 27.105" **उ**	84° 37' 44.204" **पू**
93	धारहाउली	गुमला	100	23° 0' 51.515" **उ**	84° 40' 26.245" **पू**
94	अमबोअ	गुमला	101	23° 1' 26.828" **उ**	84° 39' 32.084" **पू**
95	लयंगा	गुमला	105	22° 49' 33.141" **उ**	84°46' 52.741" **पू**
96	बेला	गुमला	107	23° 0' 34.452" **उ**	84° 43' 8.013" **पू**
97	सामसेरा	गुमला	108	23° 0' 50.206" **उ**	84° 42' 18.825" **पू**
98	तीर्री	गुमला	55	23° 0' 3.001" **उ**	84° 32' 6.867" **पू**
99	चारकेतनगर	गुमला	98	22° 58' 25.913" **उ**	84° 38' 19.961" **पू**
100	राकमसेरा	गुमला		23° 0' 47.858" **उ**	84° 41' 27.548" **पू**
101	फासिया	गुमला		23° 1' 16.600" **उ**	84° 32' 48.767" **पू**

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2018

S.O.776(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Palkot Wildlife Sanctuary lies between Latitudes 22°45' North to 23 North and Longitudes 84°30' East to 84°45' East. This Sanctuary was constituted in the year 1990 for the conservation of endangered and valuable wild animals such as Bear, Leopard, pythons etc. Palkot Wildlife Sanctuary was notified *vide* Govt. of Bihar notification No. 1168 dated 22-03-1990, covering an area of 183.18 sq. km. This sanctuary is under the administrative control of Divisional Forest Officer, Wildlife Division, with his head quarters at Ranchi.

AND WHEREAS, Palkot Wildlife Sanctuary has a wide range of biodiversity. It is located in Deccan Plateau province of Chhotanagpur Plateau (6D) Biogeographic zone. Bear is the species of vital importance in Palkot Wildlife Sanctuary. Some of the most endangered species like Leopard, mouse deer, python, pangolin, etc. are also found in this PA. Migratory elephants are also occasionally seen in the sanctuary area. Palkot Wildlife Sanctuary forms the catchment of many seasonal and small perennial rivers. Protected Area intercepts rainfall and help recharge ground water aquifers. The forests of this PA protect rivers and streams against siltation by minimizing soil erosion. This Protected Area is home to diverse types of forests-Northern Indian Moist Deciduous Forest, Moist & Dry Peninsular Sal Forest, Northern Dry Mixed Deciduous Forest, Aegle Forest as per Champion & Seth's classification, which are excellent habitat for significant populations of 47 species of mammals, 124 species of birds and 700 species of flora, including Bear, Leopard, Python, Pangolin, Migratory Asian elephants, etc., which are all endangered species. This PA supports the local population, of which more than 60% are Scheduled Tribes, by providing them with means of livelihood. It has great aesthetic value and scope for wildlife research and education, and has tremendous potential to support thriving eco-tourism.

AND WHEREAS, the sanctuary serves as the watershed for a number of streams and rivers. Most of the streams are rain fed and seasonal and, therefore, dry up in summer. However, few rivers carry a little water throughout the year and are important sources of water for wild animals.

AND WHEREAS, The most important threats to these protected areas emanate from the increasing population, low educational levels and the commercial activities detrimental to the conservation of wildlife and other natural resources.

Unregulated activities, such as mining, quarry and industries not only have a direct adverse impact on the ecology but also cause degradation of neighboring forests, and thus that of the wildlife habitats, through concomitant factors like inadvertent influx of people.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Palkot Wildlife Sanctuary as eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 5 km around the boundary of Palkot Wildlife Sanctuary in the districts of Gumla and Simdega, Jharkhand as the Palkot Wildlife Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –

(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from varies from 350 meters to 5 kilo meters around the Palkot Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is **1287.16 square kilometres**.

(2) The boundary description of Palkot Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-B.**

(4) The geo-coordinates of Palkot Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in table **A & B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture and Horticulture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism including eco-tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal and Urban Development,
(x) Panchayati Raj, and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-. The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Palkot Wildlife Sanctuary or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest

and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- The Environment Department of the State Government or Jharkhand State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution**. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units**. –

(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes**. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this

		notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Small scale non polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village	Shall be actively promoted.

	artisans.	
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
37.	Use of Eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:

The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1.	Commissioner of South Chhotanagpur Revenue Division	Chairman
2.	Representative of State Pollution Control Board	Member
3.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member
4.	A representative nominated by the Forest & Environment Department of Jharkhand	Member
5.	A expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member
6.	An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government	Member
7.	Divisional Forest Officer, Incharge of the Palkot Wildlife Sanctuary	Member Secretary

6.Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/69/2015-ESZ-RE]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

NORTH : Villages of Gumla Block of Gumla Dist. Northern Boundaries of Revenue Villages- Belgaon, Karaundi, Phaisa , Tarri, Dumardih, Mahugaon, Bankir, Sursuria, Amboa, Rakamsera, Bela. As well as NH 23 adjoining to Gumla Town.

EAST : Villages of Basia of Gumla Dist. Along the Eastern boundaries. The North Eastern Boundaries of revenue village – Jamdang, Tukai, Surujpur, Sonmer, Pantha, Lalpur, Solangbira, Kelga, Launga, Patura, Kindarkela, Agharma.

SOUTH : Villages of Kolebera Block of Simdega Dist. Southern boundary of the revenue Village – Bhanwarpahari, Sarangapani, Kadamtanr, Phulwartangar, Biru, Danrgurda, Konbera, Kewanddih, Khangajaloya.

WEST : Along the river shankh and the inter state boundary of Chattisgarh state western boundary of the revenue boundaries – Kondra, Kasira, Mokra, Rengola, Tulmunga, Aranda, Raidih, Lunga.

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PALKOT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION

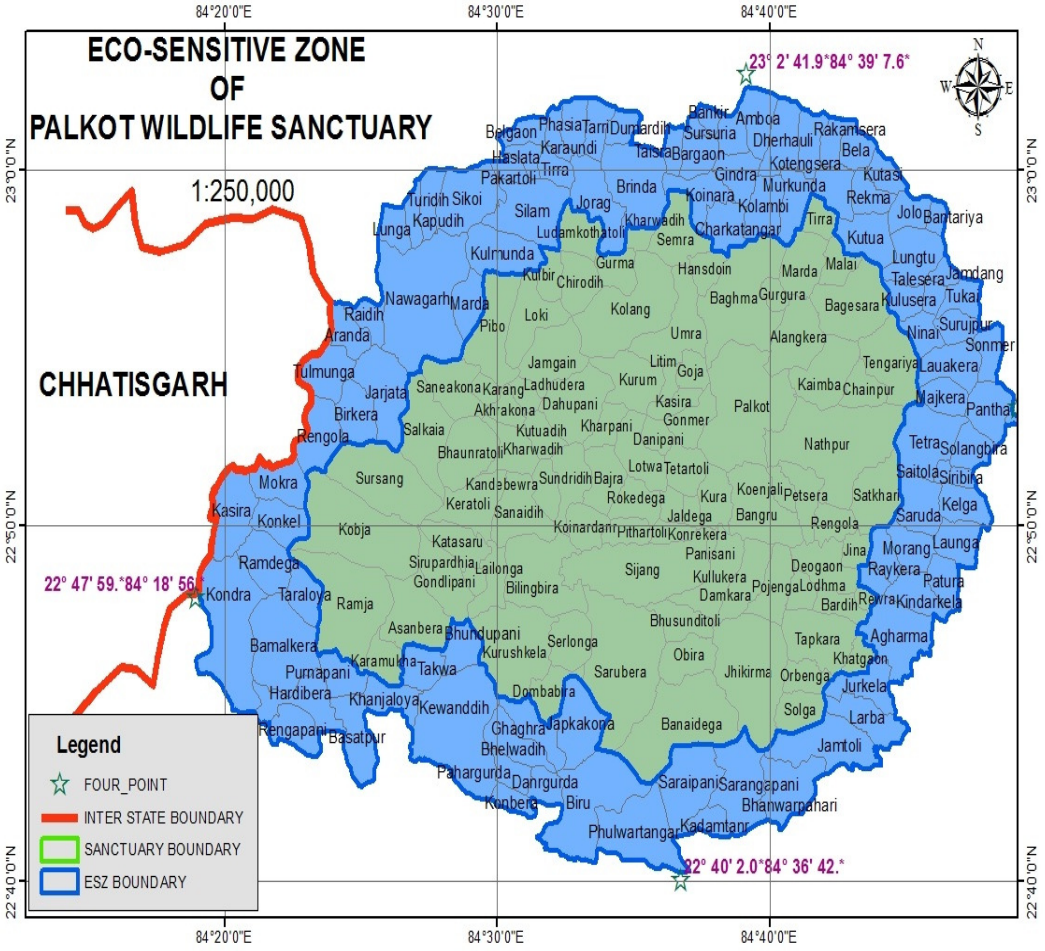

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PALKOT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN TOI

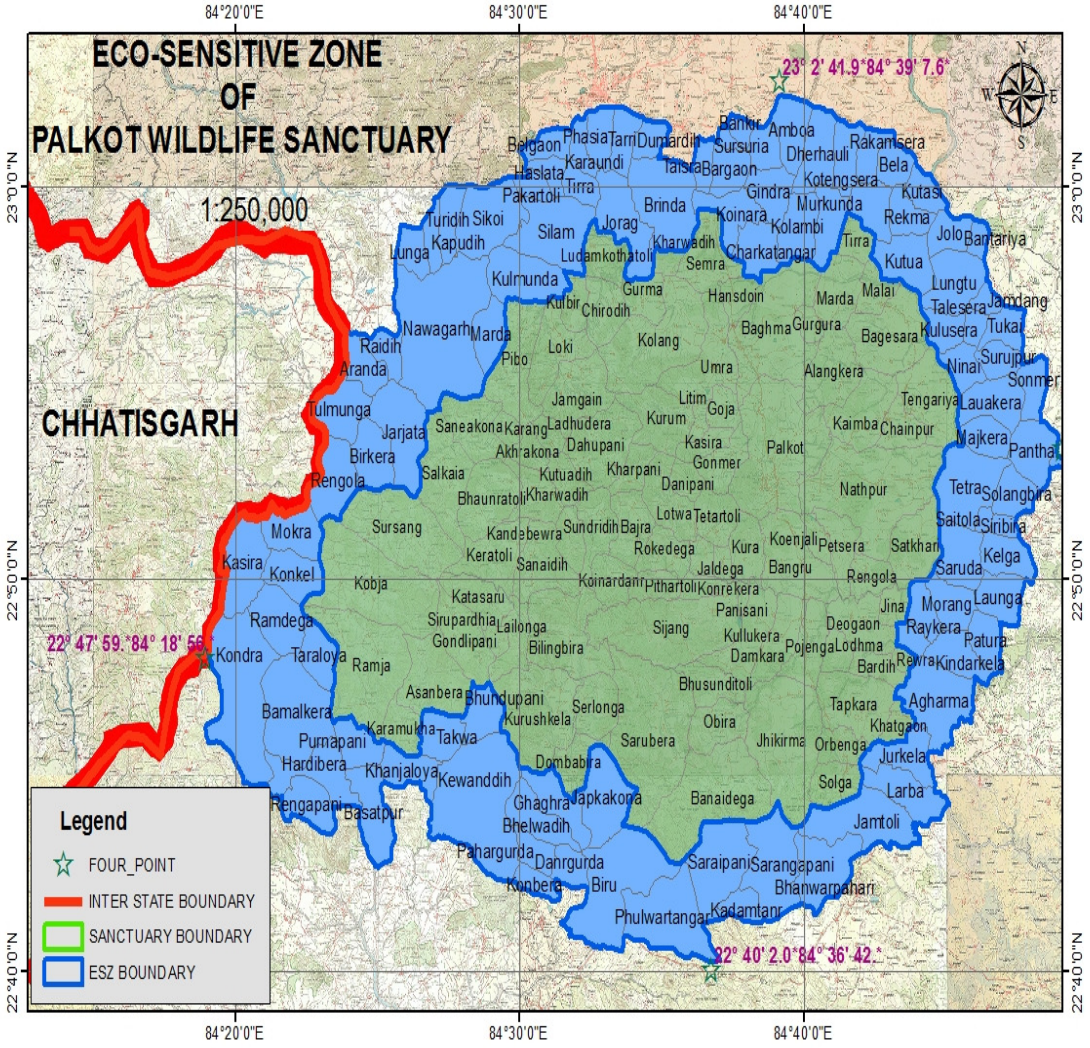

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Palkot Wildlife Sanctuary, Jharkhand

Point No	Latitude (N)	Longitude (E)
1.	22° 48' 05"	84° 23' 34"
2.	22° 53' 10"	84° 26' 24"
3.	22° 57' 10"	84° 31' 08"
4.	22° 57' 08"	84° 39' 01"
5.	22° 57' 29"	84° 43' 40"
6.	22° 53' 38"	84° 45' 45"
7.	22° 47' 51"	84° 43' 50"
8.	22° 42' 47"	84° 39' 39"

9.	22° 45’ 11”	84° 31’ 03”
10.	22° 46’ 30”	84° 26’ 33”

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

Point No.	Latitude (N)	Longitude (E)
	22° 55’ 23”	84° 23’ 50”
1	23° 0’ 15”	84° 30’ 16”
2	23° 02’ 41”	84° 39’ 07”
3	22° 59’ 14”	84° 45’ 10”
4	22° 53’ 19”	84° 49’ 04”
5	22° 47’ 17”	84° 45’ 55”
6	22° 40’ 02”	84° 36’ 42”
7	22° 41’ 57”	84° 30’ 29”
8	22° 44’ 13”	84° 23’ 24”
9	22° 47’ 59”	84° 18’ 56”

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF PALKOT WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Name of Village	Admn. Block	Thana No.	Latitude	Longitude
1	2	3	4	5	6
1	Kapudih	Raidih	27	22º 58' 43.362" N	84º 26' 56.005" E
2	Nawagarh	Raidih	32	22º 56' 22.369" N	84º 27' 14.329" E
3	Marda	Raidih	33	22º 56' 14.897" N	84º 28' 55.706" E
4	Kulmunda	Raidih	34	22º 57' 41.771" N	84º 30' 7.844" E
5	Sikoi	Raidih	35	22º 59' 12.201" N	84º 28' 53.634" E
6	Pakartoli	Raidih	36	23º 0' 0.802" N	84º 30' 29.871" E
7	Silam	Raidih	37	22º 58' 51.092" N	84º 31' 12.304" E
8	Jarjatta	Raidih	45	22º 53' 45.784" N	84º 25' 50.670" E
9	Raidih	Raidih	46	22º 55' 48.714" N	84º 25' 17.527" E
10	Aranda	Raidih	47	22º 55' 26.090" N	84º 24' 30.953" E
11	Tulmunga	Raidih	48	22º 54' 19.652" N	84º 23' 44.677" E
12	Birkera	Raidih	49	22º 53' 7.661" N	84º 24' 49.741" E
13	Rengola	Raidih	50	22º 52' 31.686" N	84º 23' 27.258" E
14	Mokra	Raidih	53	22º 51' 12.102" N	84º 22' 2.647" E
15	Kasira	Raidih	54	22º 50' 21.639" N	84º 20' 16.157" E
16	Konkel	Raidih	55	22º 50' 6.844" N	84º 22' 3.001" E
17	Ramdega	Raidih	56	22º 48' 57.246" N	84º 21' 33.071" E
18	Taraloya	Raidih	57	22º 48' 3.629" N	84º 22' 56.406" E
19	Bamalkera	Raidih	59	22º 46' 37.886" N	84º 22' 6.000" E
20	Kondra	Raidih	60	22º 47' 6.593" N	84º 20' 12.899" E
21	Turidih	Raidih	26	22º 59' 9.201" N	84º 27' 31.312" E
22	Lunga	Raidih	28	22º 58' 21.235" N	84º 26' 13.630" E

23	Japkakona	Simdega	25	22º 44' 25.803" N	84º 32' 58.278" E
24	Danrgurda	Simdega	57	22º 42' 39.489" N	84º 31' 45.577" E
25	Konbera	Simdega	55	22º 42' 16.530" N	84º 30' 32.800" E
26	Phulwaratanger	Simdega	65	22º 41' 22.763" N	84º 35' 13.012" E
27	Biru	Simdega	58	22º 42' 11.838" N	84º 33' 23.982" E
28	Purna pani	Pakaerdanr	13	22º 45' 46.654" N	84º 24' 17.487" E
29	Khanjaloya	Pakaerdanr	14	22º 45' 8.063" N	84º 26' 6.332" E
30	Kewanddih	Pakaerdanr	28	22º 44' 17.678" N	84º 28' 34.333" E
31	Ghagra	Pakaerdanr	26	22º 44' 18.001" N	84º 31' 22.274" E
32	Bhelwodih	Pakaerdanr	27	22º 43' 54.735" N	84º 30' 35.458" E
33	Hardibera	Pakaerdanr	10	22º 45' 1.588" N	84º 22' 48.558" E
34	Basatpur	Pakaerdanr	12	22º 44' 3.294" N	84º 24' 49.725" E
35	Rengapani	Pakaerdanr	9	22º 44' 16.310" N	84º 22' 35.630" E
36	Bhundupani	Pakaerdanr	58	22º 46' 32.932" N	84º 28' 40.221" E
37	Takwa	Pakaerdanr		22º 46' 1.023" N	84º 27' 12.761" E
38	Pahargurda	Pakaerdanr	56	22º 43' 3.302" N	84º 30' 30.795" E
39	Sariapani	Kolebera	119	22º 42' 42.431" N	84º 36' 59.109" E
40	Sarangapani	Kolebera	120	22º 42' 42.910" N	84º 38' 53.020" E
41	Bhanwarpahar	Kolebera	121	22º 42' 38.484" N	84º 40' 40.454" E
42	Jamtoli	Kolebera	122	22º 43' 49.736" N	84º 42' 1.872" E
43	Larba	Kolebera	123	22º 44' 33.289" N	84º 43' 34.589" E
44	Jurkela	Kolebera	131	22º 45' 29.504" N	84º 43' 29.530" E
45	Agarma	Kolebera	132	22º 46' 54.477" N	84º 44' 38.113" E
46	Kadamdtanr	Kolebera	118	22º 41' 40.675" N	84º 37' 50.670" E
47	Surujpur	Basia	118	22º 55' 35.300" N	84º 46' 49.428" E
48	Lalpur	Basia	122	22º 52' 59.938" N	84º 48' 50.034" E
49	Pantha	Basia	123	22º 53' 16.204" N	84º 48' 1.668" E
50	Solangbir	Basia	124	22º 52' 10.530" N	84º 47' 20.619" E
51	Saitoli	Basia	125	22º 51' 31.127" N	84º 46' 18.079" E
52	Siribira	Basia	126	22º 51' 21.210" N	84º 47' 1.245" E
53	Raykera	Basia	138	22º 49' 10.817" N	84º 44' 9.899" E
54	Morang	Basia	139	22º 49' 22.815" N	84º 45' 9.327" E
55	Saruda	Basia	142	22º 50' 35.656" N	84º 45' 26.795" E
56	Tetra	Basia	143	22º 52' 24.897" N	84º 45' 42.001" E
57	Majkera	Basia	144	22º 53' 37.596" N	84º 46' 23.154" E
58	Laukera	Basia	145	22º 54' 31.033" N	84º 46' 37.523" E
59	Ninai	Basia	146	22º 55' 25.357" N	84º 45' 34.014" E
60	Kuluskera	Basia	147	22º 56' 22.066" N	84º 44' 54.483" E
61	Lungtu	Basia	148	22º 57' 35.180" N	84º 45' 15.893" E
62	Jolo	Basia	149	22º 58' 49.140" N	84º 45' 3.207" E
63	Sonmer	Basia	119	22º 54' 53.120" N	84º 48' 1.737" E

64	Jamdang	Basia	114	22º 57' 5.922" N	84º 46' 22.706" E
65	Talesera	Basia	115	22º 56' 25.875" N	84º 45' 57.640" E
66	Tukai	Basia	116	22º 56' 24.002" N	84º 47' 2.142" E
67	Matardega	Basia	137	22º 48' 28.828" N	84º 43' 45.804" E
68	Patura	Basia	135	22º 48' 27.573" N	84º 46' 22.255" E
69	Kelga	Basia	105	22º 50' 35.000" N	84º 47' 4.843" E
70	Bantariya	Basia	150	22º 58' 39.645" N	84º 46' 5.736" E
71	Kinderkel	Basia	20	22º 48' 2.902" N	84º 45' 22.486" E
72	Rewra	Basia	82	22º 47' 57.017" N	84º 43' 27.752" E
73	Belgaon	Gumla	53	23º 1' 3.609" N	84º 31' 1.420" E
74	Haslata	Gumla	54	23º 0' 22.436" N	84º 31' 4.312" E
75	Jorga	Gumla	56	22º 59' 4.961" N	84º 33' 39.865" E
76	Karaundi	Gumla	57	23º 1' 0.424" N	84º 32' 9.727" E
77	Tarri	Gumla	61	23º 1' 12.651" N	84º 33' 37.910" E
78	Brinda	Gumla	62	22º 59' 37.980" N	84º 35' 4.411" E
79	Koinara	Gumla	67	22º 59' 20.220" N	84º 37' 23.827" E
80	Dhumardih	Gumla	89	23º 1' 12.164" N	84º 34' 34.150" E
81	Mahugaon	Gumla	91	23º 1' 12.013" N	84º 37' 19.442" E
82	Sursuria	Gumla	93	23º 1' 0.310" N	84º 38' 36.140" E
83	Gindra	Gumla	94	22º 59' 52.794" N	84º 38' 48.672" E
84	Bargaon	Gumla	95	23º 0' 26.029" N	84º 37' 19.749" E
85	Taisera	Gumla	96	23º 0' 33.987" N	84º 36' 26.590" E
86	Kolambi	Gumla	99	22º 58' 56.022" N	84º 39' 46.617" E
87	Murkunda	Gumla	110	22º 59' 4.099" N	84º 40' 50.289" E
88	Kotengsera	Gumla	111	22º 59' 27.976" N	84º 42' 21.981" E
89	Rekma	Gumla	112	22º 59' 17.485" N	84º 43' 35.932" E
90	Kutua	Gumla	113	22º 58' 5.872" N	84º 43' 33.491" E
91	Kutasi	Gumla		22º 59' 53.191" N	84º 44' 11.671" E
92	Bankir	Gumla	92	23º 1' 27.105" N	84º 37' 44.204" E
93	Dharhauli	Gumla	100	23º 0' 51.515" N	84º 40' 26.245" E
94	Amboa	Gumla	101	23º 1' 26.828" N	84º 39' 32.084" E
95	Launga	Gumla	105	22º 49' 33.141" N	84º46' 52.741" E
96	Bela	Gumla	107	23º 0' 34.452" N	84º 43' 8.013" E
97	Samsera	Gumla	108	23º 0' 50.206" N	84º 42' 18.825" E
98	Tirra	Gumla	55	23º 0' 3.001" N	84º 32' 6.867" E
99	Charkatangar	Gumla	98	22º 58' 25.913" N	84º 38' 19.961" E
100	Rakamsera	Gumla		23º 0' 47.858" N	84º 41' 27.548" E
101	Phasia	Gumla		23º 1' 16.600" N	84º 32' 48.767" E

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.03.03 14:18:07 +05'30'